



Neutral Citation No. – 2026:AHC:128113

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अन्तर्गत आवेदन संख्या- 30892/2025

अशोक कुमार तोमर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

अथर्व दीक्षित, भुवनेश्वर सिंह, राजीव लोचन शुक्ला,

रमेश चंद्र तिवारी, सिद्धार्थ शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता:

विष्णु प्रकाश, शा.अधि., सुरेश कुमार

न्यायालय संख्या-46

माननीया न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र तिवारी की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीष तिवारी, राज्य के लिए विद्वान अ.शा.अधि. श्री दीपक कपूर तथा विपक्षी संख्या 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रकाश को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. आवेदक के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि इस न्यायालय द्वारा आवेदन धारा 482 संख्या 33118/2024 में पारित दिनांक 28.02.2025 के निर्णय व आदेश का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है, जिसका मुख्य अंश नीचे उद्धृत है:-

"24. मामले की गंभीरता को देखते हुए, विद्वान शासकीय अधिवक्ता, श्री ए.के. सैंड को न्यायालय को संबोधित करने हेतु अनुरोध किया गया। विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा वर्तमान आवेदन के विरोध में कुछ शपथ पत्र भी दाखिल किए गए, जिसमें कहा गया है कि पेन ड्राइव की प्रति आवेदक को पहले ही प्रदान की जा चुकी है। अतः, दिनांक 14.03.2024 (पत्र संख्या 44-बी) के आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना पूर्णतः भ्रामक है। विद्वान अ.शा.अधि. द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अभियोजन डी.वी.आर. के कब्जे में नहीं है तथा जिसकी सामग्री की प्रति अभियुक्त द्वारा मांगी जा रही है, अतः, अभियोजन को उसे प्रदान करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। अतः, वह प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा वर्तमान आवेदन में कोई हस्तक्षेप वारंट नहीं है।

25. दूसरी ओर, प्रथम सूचनादाता/विपक्षी-2 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री पी.सी. श्रीवास्तव प्रस्तुत करते हैं कि विचारण उन्नत स्तर पर है। आरोप-पत्र के अनुसार, इसमें 27 अभियोजन साक्षी नामित हैं। इस स्तर तक, तीन अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि.सा. -1 शरद गुप्ता, अभि.सा. -2 ऋषभ गुप्ता तथा अभि.सा. -3 अशोक कुमार (चौकीदार) के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अभि.सा. -4 का बयान प्रगति पर है। अतः आवेदन (पत्र संख्या 44-बी) केवल विचारण की प्रगति में विलंब करने हेतु रचा गया था। तथापि, वे प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें अभियुक्त आवेदक को उक्त डी.वी.आर. की प्रति प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



26. उपरोक्त को देखते हुए, विपक्षी-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.सी. श्रीवास्तव द्वारा किए गए स्वीकरण, जो मूल डी.वी.आर. के भी कब्जे में हैं, जिससे सी.सी.टी.वी. फुटेज का पेन ड्राइव तैयार किया गया था, को देखते हुए, यह न्यायालय अब दिनांक 26.7.2024 के आदेश के गुण-दोष पर विचार करने हेतु आवश्यक नहीं है।

27. उपरोक्त को देखते हुए, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

28. दिनांक 26.7.2024 का आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्त आवेदक, घटनास्थल पर लगे कैमरों के संबंध में डी.वी.आर. की प्रति, बिना किसी जोड़-घटाव के, प्राप्त करने का हकदार होगा। उक्त कवायद अभियोजन द्वारा, प्रथम सूचनादाता सहित, यथाशीघ्र की जाएगी। अवर न्यायालय तत्पश्चात एक आदेश पारित करेगी जिसमें यह दर्ज किया जाएगा कि डी.वी.आर. की प्रति दस्तावेज़, आवेदक को प्रदान किए जाने के पश्चात, अभियुक्त आवेदक के विचारण हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी।

29. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, व्यय अधिरोपित नहीं की जाती है।"

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में, दिनांक 10.04.2025 को अभियुक्त-आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, डी.वी.आर. की प्रति मांगते हुए एक आवेदन दाखिल किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.07.2025 के विवादित आदेश द्वारा आवेदन खारिज कर दिया है। अतः यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त विवादित आदेश अपास्त किए जाने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



योग्य है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में डी.वी.आर. की प्रति अभियुक्त-आवेदक को सौंपी जाए।

4. विद्वान अ.शा.अधि. प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 28.02.2025 के निर्णय व आदेश में भी, इस न्यायालय ने प्रस्तर 24 में तत्कालीन विद्वान अ.शा.अधि. के इस आशय के कथन को दर्ज किया था कि अभियोजन मूल डी.वी.आर. के कब्जे में नहीं था तथा, अतः, अभियोजन को उसकी प्रति अभियुक्त-आवेदक को प्रदान करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था।
5. विद्वान अ.शा.अधि. आगे प्रस्तुत करते हैं कि आज की तिथि तक भी, अभियोजन मूल डी.वी.आर. के कब्जे में नहीं है तथा, अतः, अभियुक्त-आवेदक को उसकी प्रति प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त डी.वी.आर. न तो केस डायरी का हिस्सा है न ही यह आरोप-पत्र के साथ दाखिल की गई थी।
6. सूचनादाता/विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें अभियुक्त-आवेदक को डी.वी.आर. की प्रति प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 28.02.2025 के निर्णय व आदेश में दर्ज किया गया था। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि विपक्षी संख्या 2 मूल डी.वी.आर. के कब्जे में बना हुआ है, जिससे सी.सी.टी.वी. फुटेज युक्त पेन ड्राइव तैयार किया गया था तथा जो फुटेज आरोप-पत्र के साथ आने वाली सामग्री का हिस्सा है।
7. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, निर्देशों पर, प्रस्तुत करते हैं कि विपक्षी संख्या 2 विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मूल डी.वी.आर. प्रस्तुत करने हेतु तैयार व इच्छुक है तथा उसे कोई आपत्ति नहीं है यदि उसकी क्लोन प्रतियां तैयार कर अभियुक्त-आवेदक तथा अभियोजन को प्रदान की जाएं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.02.2025 के निर्णय व आदेश के अवलोकन पर, यह न्यायालय पाता है कि इसके प्रस्तर 26 में, इस न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को दर्ज किया था कि वह मूल डी.वी.आर. के कब्जे में था जिससे सी.सी.टी.वी. फुटेज युक्त पेन ड्राइव तैयार किया गया था। उक्त निर्णय के प्रस्तर 28 में निहित निर्देश उपरोक्त कथन के आधार पर जारी किया गया था।
9. तदनुसार, दिनांक 28.02.2025 के निर्णय व आदेश के अनुपालन के प्रयोजनार्थ, विपक्षी संख्या 2 द्वारा उसके प्रस्तर 26 में दर्ज कथन के अनुसार प्रस्तुत डी.वी.आर. को उक्त निर्णय द्वारा परिकल्पित डी.वी.आर. माना जाएगा। विपक्षी संख्या 2 उसे दिनांक 24.06.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा उसकी क्लोन प्रतियां विद्वान विचारण न्यायालय की निगरानी में तैयार की जाएंगी तथा राज्य, अभियुक्त-आवेदक तथा विपक्षी संख्या 2 को प्रदान की जाएंगी।
10. अभियुक्त-आवेदक के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, निर्देशों पर, कथन करते हैं कि उपरोक्त को दिनांक 28.02.2025 के निर्णय व आदेश के पर्याप्त अनुपालन के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा डी.वी.आर. की पहचान अथवा उसकी प्रति प्रदान किए जाने के संबंध में कोई और विवाद नहीं उठाया जाएगा।
11. दिनांक 17.07.2025 का विवादित आदेश यहां निहित निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाता है। वर्तमान आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।
12. उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन पर, विद्वान विचारण न्यायालय विधि के अनुसार त्वरित रूप से विचारण आगे बढ़ाएगा।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18 जून, 2026

वी.एस.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”